न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 78 / 2019

1 घासीराम पुत्र श्री मेवाराम एंव इन्द्रा पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपीलांटस

बनाम

1 गणेशाराम आयु 85 साल पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
2 रामकरण पुत्र जेसाराम एवं रामी पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
3 मगनाराम पुत्र दुलाराम एवं धापुर पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
4 बिमला पत्नी सुखदेव पुत्री धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
5 शंकर पुत्र सुखदेव पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
6 मुकेश पुत्र सुखदेव पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
7 ओमप्रकाश पुत्र जगमाल पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
8 ओमप्रकाश पुत्र जगमाल पुत्र धापू पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
9 छोटी देवी पत्नी बक्साराम पुत्री रूड़ाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। – मृतक
9/1 घासीराम पुत्र बक्साराम
9/2 कूरड़ाराम पुत्र बक्साराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9/3 नाथी पुत्री बक्साराम पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
10 बिरजू पुत्र फूला जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर। मृतक
10/1 मोहनी देवी पत्नी स्व बिरजू
10/2 राजेन्द्र पुत्र स्व. बिरजू जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
10/3 कमला पुत्री स्व. बिरजू पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी गोडीवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10/4 तारामणी पुत्री स्व. बिरजू पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी भोजासर बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
11 हरलाल फूसा जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
12 सोहनी देवी पुत्री फूला पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
13 भगवानी पुत्री फूसा पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम चुड़ी अजीतगढ़ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
14 भंवरा पुत्र बिरजा उर्फ बिरजू जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
15 रणजीत पुत्र दीपा व बोगी जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।मृतक
15/1 संतोष पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
15/2 नरेन्द्र उम्र 16 साल पुत्र स्व. रणजीत जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संतोष पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
15/3 चन्द्रा उम्र 13 साल पुत्री स्व. रणजीत जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता संतोष पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
16 मुखराम दत्तक पुत्र भागु पुत्र दपा व बोगी पुत्री कानाजाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 पूर्ण पत्नी गणेश पुत्री बोगी व दीपा जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर। नाम हजफ दिनांक 19.07.2024

18 फुलचन्द पुत्र गणेश पुत्र बोगी व दीपा जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

19 रामचन्द्र पुत्र टीकुराम व कुनणी पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम कसवाली तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर। मृतक

19/1 मोहनी पत्नी स्व. रामचन्द्र

19/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामचन्द्र

19/3 सीताराम पुत्र स्व. रामचन्द्र

19/4 रोहिताश पुत्र स्व. रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम कसवाली तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

20 नेमीचन्द पुत्र मोहन पुत्री हिरालाल व माली पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर हाल निवासी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

21 बुल्लू उर्फ बलवीर पुत्र हीरा व माली पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर हाल निवासी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

22 नारायण पुत्र हीरा राम व माली पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर हाल निवासी नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

23 बल्लूराम पुत्र नोपाराम व केशी पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर हाल निवासी ग्राम माण्डोला बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।

24 नोरंगाराम पुत्र नोपाराम व केशी पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर हाल निवासी ग्राम माण्डोला बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.। मृतक

24/1 ओमप्रकाश पुत्र नोरंगाराम

24/2 विकास कुमार पुत्र नोरंगाराम जाति भड़िया जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर हाल निवासी ग्राम माण्डोला बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

25 मनोज पुत्र जगदीश पुत्र शोभाराम व भूरी पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
26 विजय कुमार पुत्र जगदीश पुत्र शोभाराम व भूरी पुत्री काना जाति जाट निवासी ग्राम हरसावा बड़ा हाल निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
27 पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।
28 पटवारी हल्का ग्राम हरसावा बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।
29 उप पंजीयक फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।
30 तहसीलदार फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय रेनू मीणा, उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर दिनांकित 09.08.2019 जिसके अनुसार अपीलान्ट/वादी का दावा संख्या 741/2016 उनवानी घासीराम विपरित गणेशाराम आदि आदेश 07 नियम 11 (बी) दीवानी प्रकिया संहिता के अ. कतई गलत रूप से, कानून के प्रावधानों के विपरित खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवकता रेस्पोडेन्ट
4. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांक:– 25/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 741/2016 में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 152, 216, 219, 44, 217, 141/1, 193 जिनके नये खसरा नम्बर 274, 367, 372, 169, 371, 241, 267, 193 वाके ग्राम हरसावा बड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में उल्लिखित आधारों पर वाद पत्र (**Plaint**) को अग्राह्य (**Reject**) किया जा सकता है। वाद (**Suit**) का निस्तारण सदैव गुणावगुण पर किया जाता है। वाद को निरस्त करने का कोई अधिकार न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान नहीं देते है। प्रस्तुत प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के **Under valuation** की आपत्ति ना तो प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई है एव ना ही न्यायालय द्वारा अनुतोष को **Under** मानकर सही मूल्यांकन का आदेश दिया है। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का दावा आदेश 07 नियम 11 बी दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज करने में सख्त कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं आदेश 07 नियम 11 बी सीपीसी के प्रावधानों का एवं प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन के जवाब का गम्भीरतापूर्वक अनुशील किये बिना ही इनमें अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी छोटी देवी ने अपने उक्त आवेदन में आदेश 07 नियम 11 बी सीपीसी के आधार पर कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अपील संख्या 63/2015 उनवानी भगवानाराम बनाम गणेशाराम आदि एवं अपील संख्या 73/2015 उनवानी गणेशाराम बनाम बिरजूराम का निर्णय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

05.09.2016 को हो चुका है। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 14.06.2018 को हो चुका है। उपरोक्त दोनों अपीलों में कानाराम को नाऔलाद फौत होना बताया है। कानाराम को नाऔलाद फौत मानते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार वादी की किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दावा उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के निर्णय दिनांकित 25.05.2016 एवं अपील संख्या 63/2015 एवं 73/2015 के राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांकित 05.09.2016 एवं नामान्तकरण संख्या 707 दिनांकित 14.06.2018 का उल्लेख वाद पत्र में कहीं भी नहीं है। उपरोक्त प्रकरणों में अपीलान्ट/वादी पक्षकार नहीं रहा है तथा ना ही अपीलान्ट/वादी को उपरोक्त प्रकरणों की प्रतिवादी छोटी देवी के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन प्रस्तुति के पूर्व कोई जानकारी थी। अपीलान्ट/वादी को अपने खातेदारी की उद्घोषणा व अन्य अनुषांगिक अनुतोष प्राप्ति हेतु वाद नियोजन का पूर्ण अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 **Devolution of interest in Coparcenary Property** से संबंधित है। जिसका आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से दूर का भी संबंध नहीं है। उक्त धारा के अन्तर्गत किसी भी दावा को ना तो **barred by law** माना जा सकता है और ना इस आधार पर श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का अभाव बताकर दावा को खारिज किया जा सकता है। किसी **Coparcener** को **Coparcenary Property** में कितना हिस्सा **Devolve** हुआ अथवा नही, इस बिन्दु को मूलवाद में तनकी बताकर, पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है। इस तरह के विवाद को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन में तय नहीं किया जा सकता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के आधार पर वाद पत्र. को **barred by law** नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत दावा को अपने श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं मानकर खारिज किया है। श्रवणाधिकार का प्रश्न कानून एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होता है, जिसे जवाबदावा आने के पश्चात विवाद्यक बनाकर, पक्षकारों की साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के ए से लेकर एफ तक के प्रावधानों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें दावा को श्रवणाधिकार के अभाव में खारिज किया जा सके। स्व काना पुत्र हणुता की मृत्यु संवत 2027 में हुई है। उस समय हिन्दू उत्तराधिकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिनियम 1955 प्रभावशील था। जिसके अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रियों को भी विरासत का पुत्रों के समान ही अधिकार प्राप्त होता है। अपीलान्ट/वादी की माता इन्द्रा स्व. काना की पुत्री थी। स्व. काना पुत्र हणुता के उत्तराधिकारियों में उसका एक पुत्र फूसा एवं 6 पुत्रियां थे। इस प्रकार अपीलान्ट/वादी के माता इन्द्र का स्व. काना की खातेदारी की कृषि भूमियों में 1/7 हिस्सा होने से अपीलान्ट/वादी का भी 1/7 हिस्सा कानूनन बनता है। इस प्रकार की उद्घोषणा प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट/वादी को वाद नियोजन का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। किसी राजस्व वाद में वादी अथवा प्रतिवादी के गोद के प्रश्न का निर्धारण करना है तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण वादी या प्रतिवादी के स्टेटस को तय करने के लिए राजस्व न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कोई व्यक्ति विवादित कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार नहीं है और वह खातेदारी की उद्घोषणा के लिए वाद लेकर आता है तो ऐसा वाद केवल राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का ही होता है। खातेदारी की उद्घोषणा के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट/वादी का वाद बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनुतोष क्रमशः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिया जा सकता है। अपीलान्ट/वादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर का निर्णय दिनांकित 09.08.2019 को निरस्त फरमाने की कृपा करें। विचारण न्यायालय को दावा में तनकीयात कायम कर गुणावगुण पर त्वरित सुनवाई हेतु आदेशित फरमाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2008 मद्रास पेज 165 पैरा 18, एआईआर 2011 गुजरात पेज 42 पैरा 8,9,10, एआईआर 1983 राज. पेज 3 पैरा 7 ओर 11, एआईआर 1992 इला. पेज 158, एससीसी 2019(3) पेज 692 पैरा 6 और 12, एआईआर 2004 पेज 1801 पैरा 14 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 152,

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर

216, 219, 44, 217, 141/1, 193 जिनके नये खसरा नम्बर 274, 367, 372, 169, 371, 241, 267, 193 वाके ग्राम हरसावा बड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। वादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में पूर्व में अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष राजस्व वाद जैरकार होकर दिनांक 25.05.2016 को दावा खारिज होने पर इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 63/2015 उनवानी भगवानाराम बनाम गणेशाराम आदि व अपील गणेशाराम बनाम बिरजूराम आदि अपील 73/2015 प्रस्तुत होने पर विधिवत दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 05.09.2016 को निर्णय किया गया है। उक्त निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की पैतृक कृषि भूमियां होना व उनके खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा कर अपील स्वीकार की गई है उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 14.10.2016 दर्ज किया गया है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.09.2016 यथावत जारी है जो समक्ष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। जब कानाराम नाऔलाद फौत माना गया है तो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 152, 216, 219, 44, 217, 141/1, 193 जिनके नये खसरा नम्बर 274, 367, 372, 169, 371, 241, 267, 193 वाके ग्राम हरसावा बड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
* सीकर *

वादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में पूर्व में अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के समक्ष राजस्व वाद जैरकार होकर दिनांक 25.05.2016 को दावा खारिज होने पर इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 63/2015 उनवानी भगवानाराम बनाम गणेशाराम आदि व अपील गणेशाराम बनाम बिरजूराम आदि अपील 73/2015 प्रस्तुत होने पर विधिवत दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 05.09.2016 को निर्णय किया गया है।

उक्त निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की पैतृक कृषि भूमियां होना व उनके खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा कर अपील स्वीकार की गई है उक्त निर्णय व डिक्री अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 का नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 707 दिनांक 14.10.2016 दर्ज किया गया है। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.09.2016 यथावत जारी है जो समक्ष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है।

जब कानाराम नाऔलाद फौत माना गया है तो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 संशोधन 2005 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/8/25 को संरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर